राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छीतर बनाम रामेश्वर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/01/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
07/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 10/10/2017 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वर्णित दस्तावेजात, बैचाननामा के निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार होने, वादकरण नही होना पाया जाने, वादी का वाद क्षेत्राधिकार से परे होने एवं वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(7) के तहत बयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेजात के अस्तित्व में होना धारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अपीलार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 2017(2) RRT-902(HC), 2019(1) RRT-291(SC), 2023(2) RRT- 832, 2019(1) RRT-43(HC), 2019(2) RRT-1039, 2025(9) DNJ-1165, 2025 AIR 3670(SC), 2025 AIR 330(ALL), 2014 AIR 83(SC), 2016 DNJ(3) RAJ-1461 पेश की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि वादी द्वारा दिनांक 22/06/1982 को वादी से धोखा व कपट करते हुये प्रतिवादीगण ने धोखे से वादी के हस्ताक्षर करवा कर एक विक्रय पंजीबद्ध करवा लेने एवं उसके आधार पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो जाने के तथ्य अंकित कर वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किये जाने के अनुतोष के साथ प्रश्नाधीन वाद पेश किया गया, जिसमे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये समस्त तथ्यों को विवेचित राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छीतर बनाम रामेश्वर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही है। चूँकि वाद में उल्लेखित विक्रय पत्र एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है एवं उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज से प्रतिवादीगण के नाम हुये वादग्रस्त भूमि के इन्द्राजात को निरस्त करवाते हुये घोषणा चाही गयी है एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज(विक्रय पत्र) को सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा लिया जाता, तब तक वाद के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना सम्भव ही नही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन एवं उसके आधार पर तय किया गया निष्कर्ष विधिसम्मत प्रतीत होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10/10/2017 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर